आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

वाद संख्या–R.M.A. Case No.- 05/2014-15

बसीर मियाँ **बनाम** 16 आना रैयत

आदेश

यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Settlement Case No.-101/1995-96 में दिनांक–05.05.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्त्ता मुहर्रम अखाड़ा, मौजा–सबनपुर दरगाह के मुख्य व्यक्ति है। मौजा–सबनपुर के प्लॉट संख्या–2065 रकवा 43 डी0 में मौजा–सबनपुर एवं उससे सटे मौजा–बोरवा का 'ताजिया' रखने का काम किया जाता है। मौजा–सबनपुर के प्लॉट संख्या–2065 गतसर्वे खतियान में पुरातन पतित कहकर दर्ज है। उनके अनुसार वर्ष 1995 में मौजा–सबनपुर के रैयतों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बैठक किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–28 के तहत मुस्लिम उत्सव में ताजिया रखने हेतु बन्दोवस्ती करने का अनुरोध किया गया। लेकिन अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि को बन्दोवस्त नहीं किया गया। अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा मौजा–सबनपुर दाग संख्या–2065, रकवा 43 डी0 जमीन मुहर्रम 'ताजिया' रखने एवं मुहर्रम खेल करने के लिए सुरिक्षत रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

पक्षकार कि विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में 16 आना रैयतों को सूचना का तामिला प्रतिवेदन है।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता को भी सुना।

अभिलेख में संलग्न निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा दिनांक–05.05.2014 को पारित आदेश में अंकित किया गया है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–28 में इस प्रकार की बन्दोवस्ती के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Settlement Case No.-101/1995-96 में दिनांक–05.05.2014 को पारित आदेश संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–28 में निहित प्रावधानों के अतंर्गत है, साथ ही उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Settlement Case No.-101/1995-96 में दिनांक–05.05.2014 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है, एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2023.08.25 09:31:00 +05:30
Location: 192.168.43.106